...य उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला–पाली(राजस्थान)

...ीन अधिकारी : सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना आई.ए.एस.
...स्व विविध प्रकरण GCMS NO 2022/363
...रा तिथि : 21.12.2021
...आदेश तिथि : 21-12-22

प्रार्थी :–
रामू पत्नी सरदारनाथ जाति जोगी (कालबेलिया)
निवासी छोटी दूदनी तहसील बाली

ब ना म

अप्रार्थी :–
1. ओबाराम पुत्र नेती
2. करनाराम पुत्र नेती
3. मनाराम पुत्र नेती
4. देवी पुत्री नेती
5. सारकी पत्नी नेती तमाम जातिगण रेबारी निवासीगण छोटी दूदनी
6. गेरकीबाई पत्नी लच्छाराम रेबारी
7. भगवानसिंह पुत्र अमरसिंह
8. मालमसिंह पुत्र अमरसिंह
9. मोहनकंवर पत्नी अमरसिंह
10. रामसिंह पुत्र लक्ष्मणसिंह तमाम जाति राजपूत निवासी छोटीदूदनी
11. रूपाराम पुत्र कानाजी
12. लकमाराम पुत्र जगाराम तमाम जाति देवासी निवासी छोटीदूदनी

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955
संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012
बाबत रेकर्डड नया रास्ता उपलब्ध कराने

आदेश दिनांक : 21-12-22

प्रार्थी ने निर्धारित प्ररूप में आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 सपठित नियम–68 प्रस्तुत कर स्वयं की धारित खातेदारी भूमि मौजा दूदनी पटवार हल्का, दूदनी तहसील बाली के खसरा नंबर 459 रकबा 0.5100 हैक्टर किस्म बारानी सोयम में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नही होने से अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम दूदनी(बाहरी क्षेत्र) पटवार हल्का, दूदनी तहसील बाली के खसरा नंबर 465, 463, 460 रकबा क्रमशः 2.17, 0.83, 0.70 हैक्टर मेरो नया मार्ग उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के साथ राजस्व अभिलेखो की प्रतियां भी प्रस्तुत की गई प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संबंध मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 के नियमो के नियम–69(i) के अन्तर्गत एवं इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2) Rev.6/ 03/ pt / 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 द्वारा प्रदत्त निर्देशो के अनुसरण मे तहसीलदार बाली को मौका एवं अभिलेखीय स्थिति की जांच कर सम्पूर्ण स्थिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। तहसीलदार बाली एवं भू.अ.निरीक्षक, बेडा ने जांच कर रिपोर्ट जरिये पत्रांक राजस्व/2022/1111 दिनांक 19.04.2022 से प्रस्तुत की। तहसीलदार, बाली की जाच रिपोर्ट अनुसार :–

1.ग्राम बेडा चक। के ख.नं. 459 रकबा 0.5100 हैक्टर बारानी सोयम की खातेदारी भूमि प्रार्थीनी रामू पत्नी सरदारनाथ जाति जोगी(कालबेलिया) निवासी छोटी दूदनी के नाम से भूमि दर्ज है व खातेदार की धारित भूमि में आवागमन के लिये प्रस्तावित रास्ता के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं है।

2 यह कि रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का खसरावार विवरण निम्नानुसार है:–

क्र सं	खसरा नंबर	रकबा (हैक्टर में)	किस्म	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षैत्रफल	नाम खातेदार
1	463	0.83	बा.सो.	40X7=280	1. गेरकीबाई पत्नी लच्छाराम रेबारी हि 1/5 2. भगवानसिंह पुत्र अमरसिंह राजपूत हि 1/10 3 भगवानसिंह पुत्र अमरसिंह हि 1/15 4. मालमसिंह पुत्र अमरसिंह हि 1/10 5. मालमसिंह पुत्र अमरसिंह हि 1/15 6 मोहनकंवर पत्नी अमरसिंह हि 1/15 7. रामसिंह पुत्र लक्ष्मणसिंह तमाम जाति राजपूत निवासी छोटीदूदनी हि 1/5 8. रूपाराम पुत्र कानाजी हि 1/10 9. लकमाराम पुत्र जगाराम तमाम जाति देवासी निवासी छोटीदूदनी हि 1/10

Scanned with CamScanner

2.17	गै मु मगरी	88x7=616	राजकीय सिवायचक भूमि

3. यह है कि प्रस्तावित भूमि ग्राम दूदनी की डी.एल.सी. दर 134820/-रूपये प्रति हैक्टर है।
4. प्रस्तावित रास्ते की भूमि म मौके पर कोई भी निर्मित संरचना नहीं है न ही वृक्ष इत्यादि की क्षति है। अत अन्य कोई भी क्षति नहीं होगी।

प्रकरण मे हितबद्ध अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। प्रकरण में रास्ते के लिये प्रस्तावित भूमि खसरा नंबर 463 के खातेदारान अप्रार्थी संख्या 6 से 12 के नोटिस बाद तामील प्राप्त होने पर भगवानसिंह ने व्यक्तिश: उपस्थित होकर रास्ता दिये जाने बाबत सहमति प्रकट की तथा अप्रार्थी गेरकी की ओर से अधिवक्ता श्री नरपतसिंह दूदनी द्वारा सहमति प्रकट की। अप्रार्थी संख्या 7 से 12 द्वारा किसी प्रकार का ऐतराज आपत्ति पेश नहीं की गई।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात प्रकरण में यह जाहिर है कि आवेदक की खातेदारी भूमि मौजा मौजा दूदनी पटवार हल्का, दूदनी तहसील बाली के खसरा नंबर 459 रकबा 0.5100 हैक्टर किस्म बारानी सोयम की भूमि में आवागमन के लिये कोई रास्ता वर्तमान में उपलब्ध नहीं होने से तहसीलदार, बाली द्वारा जांच के पश्चात् अपने कार्यालय पत्रांक राजस्व/2022/1111 दिनांक 19.04.2022 से आवेदित रूट से रास्ता उपलब्ध करवाया जाना न्यायसंगत है। अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 संशोधन, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 तथा इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप-6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2)Rev.6/03/pt/7 Jaipur Dated : 02.03.2012 तथा राज्य सरकार राजस्व (ग्रुप-6) के परिपत्र क्रमांक:प.3(32) राज-6/12/4 जयपुर दिनांक 14.06.2013 के द्वारा प्रदत्त निर्देशो/शक्तियो के अनुसरण मे प्रार्थी की खातेदारी भूमि मौजा मौजा दूदनी पटवार हल्का, दूदनी तहसील बाली के खसरा नंबर 459 रकबा 0.5100 हैक्टर किस्म बारानी सोयम में आवागमन हेतु अप्रार्थी संख्या 6 से 12 की खातेदारी भूमि ग्राम दूदनी(बाहरी क्षेत्र) पटवार हल्का, दूदनी तहसील बाली के खसरा नंबर 463 रकबा 0.83 हैक्टर किस्म बारानी सोयम मे से **40X7=280** तथा राजकीय सिवायचक भूमि खसरा नंबर 465 रकबा 2.17 हैक्टर किस्म गै.मु.मगरी मेंसे **88X7=616** वर्गमीटर रास्ता नियमो के नियम 70 (i)(ख) के अन्तर्गत अप्रार्थी को देय प्रतिकर राशि का निर्धारण करते हुए **तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत नक्शा मौका के अनुरूप उपलब्ध कराये जाने के आदेश** दिये जाते है।

राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किये जाने से पूर्व तहसीलदार, बाली देय प्रतिकर राशि को जमा करावे। प्रतिकर राशि नियमानुसार निर्धारण की जाती है :-

खसरा नंबर	कुल क्षेत्रफल (हैक्टर)	रास्ते के लिए प्रभावित क्षेत्रफल	डीएलसी दर से कोठार 134820 /-रूपये प्रति हैक्टर की दर से (प्रति व.मी.)	वसूल देय प्रतिकर राशि(डीएलसी दर की दुगुनी)	नाम खातेदार
463	0.83	40X7= 280	13.48	**3775X2= 7550**	1. गेरकीबाई पत्नी लच्छाराम रेबारी हि 1/5 2. भगवानसिंह पुत्र अमरसिंह राजपूत हि 1/10 3. भगवानसिंह पुत्र अमरसिह हि 1/15 4. मालमसिंह पुत्र अमरसिंह हि 1/10 5. मालमसिंह पुत्र अमरसिंह हि 1/15 6. मोहनकंवर पत्नी अमरसिह हि 1/15 7. रामसिह पुत्र लक्ष्मणसिह तमाम जाति राजपूत निवासी छोटीदूदनी हि 1/5 8. रूपाराम पुत्र कानाजी हि 1/10 9. लकमाराम पुत्र जगाराम तमाम जाति देवासी निवासी छोटीदूदनी हि 1/10
465	2.17	88X7= 616	13.48	**8304X2= 16608**	राजकीय सिवायचक भूमि

Scanned with CamScanner

स्तावित रास्ता में निजी खातेदार की प्रतिकर राशि **7550/– अठारे सात हजार पांच सौ रुपये** मात्र आवेदक द्वारा प्रतिकर प्रभावित खातेदार को अदा की जावेगी तथा राजकीयसिवाय चक की प्रतिकर राशि 16608/– सोलह हजार छः सौ आठ रूपये राजकोष मे जमा कराई जायेगी।

तहसीलदार, बाली व निरीक्षक भू0अ0 बेडा द्वारा रिपोर्ट के साथ प्रेषित नक्शा को आदेश का भाग माना जावेगा। प्रभावित खातेदार द्वारा प्रतिकर राशि नहीं लिये जाने की दशा में आवेदक द्वारा नियमानुसार राशि तहसील कार्यालय बाली मे जमा कराई जायेगी।

तहसीलदार, बाली प्रतिकर राशि अदायगी की सुनिश्चितता कर उक्त प्रस्तावित भूमि राजस्व रेकार्ड में बतौर **राजकीय सिवाय चक गै.मु. रास्ता** दर्ज करेंगे।

तहसीलदार, बाली उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चितता कर राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद के साथ नक्शा मे तरमीम कर पालना प्रस्तुत करे। आदेश की प्रति सभी संबंधित को पालनार्थ भिजवायी जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(सुश्री पायमुही सेहल नाना)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, बाली

क्रमांक/कोर्ट/2022/4002-06 दिनांक : 23-12-22

प्रतिलिपि निम्नांकित को पालनार्थः–

1. तहसीलदार, बाली
2. निरीक्षक भू0अ0 बेडा
3. पटवारी हल्का, दूदनी
4. तहसील राजस्व लेखाकार तहसील बाली
5. आवेदक श्री रामू पत्नी सरदारनाथ जाति जोगी (कालबेलिया) निवासी छोटी दूदनी तहसील बाली को सूचनार्थ।

पदेन सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with CamScanner